प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बारां थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2022
प्र0सू0रि0 संख्या 505/22 दिनांक 30/12/2022

2.(1) अधिनियम.....धारा– 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018

(2) अधिनियम.....धाराऐं.....

(3) अधिनियम.....धाराऐं.....

(4) अन्य अधिनियम एवं ..... धाराऐं .....

3. (क) घटना का दिन :– सोमवार दिनांक :– 14.06.2022
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक: 13.06.2022 समय–01.15 पीएम
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 605 समय 5:30 pm

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–

(क) थाने से दिशा एवं दूरी–चौकी ए.सी.बी. बारां से करीब 25 कि0मी0 लगभग पूर्व दिशा।
बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....

(ख)पताः कार्यालय परिसर पंचायत समिति किशनगंज तहसील/थाना किशनगंज जिला बारां।

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–

(क) नाम :– श्री नरेन्द्र कुशवाह

(ख) पिता/पति का नाम :– श्री छीतरलाल

(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 40 साल

(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय

(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान

(च) व्यवसाय – कृषि/मजदूरी

(छ) पता :– निवासी– ग्राम मोयदा पुलिस थाना व तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. आरोपी श्री महावीर सहरिया पुत्र श्री भंवरलाल सहरिया जाति सहरिया उम्र 28 साल निवासी ग्राम खण्डेला खेडी पोस्ट करवरीकला तहसील किशनगंज जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करवरी कला पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां (राजस्थान)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चोरी हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः – 1000 रूपये .....

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात इस प्रकार है कि कि दिनांक 13.06.2022 को समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री छीतरलाल उम्र 40 साल जाति कुशवाह निवासी मोयदा पुलिस थाना व तहसील किशनगंज जिला बारां मोबाईल नम्बर 7300489857 ने ब्यूरों कार्यालय बारां मे उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत को इस आशय का पेश किया कि " मै नरेन्द्र पुत्र श्री छीतरलाल जाति कुशवाह उम्र 40 साल निवासी महरावता थाना व तहसील किशनगंज जिला बारां का रहने वाला हूँ। मै मेरे ससुराल गांव मोयदा तहसील व थाना किशनगंज ग्राम पंचायत करवरी कलां, पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां में रह रहा हूँ। यहां मैने मेरे नाम पर मेरे कब्जाशुदा बाडा की जमीन का पट्टा ग्राम पंचायत करवरी कलां पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां से बनवाया है। इस पट्टे की तहसील किशनगंज जिला बारां में रजिस्टरी होनी है। इस मेरे पट्टे की रजिस्टरी पर सेकेटरी ग्राम पंचायत करवरी कला के हस्ताक्षर होते है। मेरे पट्टे की रजिस्टरी पर हस्ताक्षर करने के सेकेटरी श्री महावीर एक हजार रूपये रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा है। मैने इसी पट्टे वाली जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना से एक लाख बीस हजार रूपये स्वीकृत करवाकर मकान बनवा रखा है। इस मकान के साथ शौचालय भी स्वीकृत हुआ था। शौचालय के बारह हजार रूपये पास करने के लिये महावीर सेक्रेटरी

ग्राम पंचायत करवरी कलां दो हजार रूपये रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा है। मै मेरे जायज काम के लिये महावीर सेक्टरी को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी महावीर सेक्रेटरी से कोई रंजिश व पुराना लेन–देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करे ।'' मजमून दरयाप्त पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह ने बताया कि प्रार्थना पत्र स्वयं मेरे द्वारा लिखा गया है एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है और प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं के परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत करवरी कलां तहसील किशनगंज जिला बारां में पट्टा शुल्क राशि 300 रूपये जमा करवाने की रसीद संख्या 93 दिनांक 22.03.2022 की प्रतियां संलग्न की हुई थी। परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिधि मे आना पाया जाता है। इसलिऐ रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत मांग का सत्यापन के सम्बन्ध में कहा गया तो परिवादी ने बताया कि ''अभी महावीर सेकेटरी ग्राम पंचायत में नही मिलेगा। मै सेकेटरी महावीर का पता कर आपको मोबाईल से सूचित कर दूंगा। फिर आप आपके कर्मचारी को रिश्वत की मांग सत्यापन की कार्यवाही के लिये भेज देना।'' इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह का परिचय श्री लोकेश कानि0 362 से करवाया तथा परिवादी को बताया कि आपके आरोपी श्री महावीर सेकेटरी के बारे में पता कर बताने पर यही आपके पास सत्यापन हेतु आयेगा। परिवादी व श्री लोकेश कानि0 के मोबाईल नम्बर आपस में दोनो को नोट करवाये गये। इसके बाद कार्यालय के मालखाने से एक डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी को वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि एवं वार्ता रिकार्ड करने का संचालन का तरीका भलीभांति समझाया गया। बाद समझाईश डिजीटल वाईस रिकार्डर को पुनः कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री महावीर सेकेटरी ग्राम पंचायत करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां का पता कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने व मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 14.06.2022 समय 11.38 ए0एम0 पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह का मो0नं0 7300489857 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मो0नं0 9414084372 पर फोन आया तथा परिवादी ने बताया कि महावीर सेकेटरी मुझे किशनगंज पंचायत समिति कार्यालय में बुला रहा है। वह वहां ही मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में बात करेगा। मेरी उससे वहां रिश्वत के सम्बंध में बात हो जायेगी। आप आपके कर्मचारी को भेज दो। इस पर मैने परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने एवं श्री लोकेश कानि0 362 को भिजवाने बाबत कहा। समय 11.50 ए0एम0 पर श्री लोकेश कानि0 362 को कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मालखाने से निकलवाकर संभलाकर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह के मोबाईल नम्बर पुनः नोट करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लोकेश कानि0 362 को हिदायत दी गई कि वह किशनगंज जाकर परिवादी से उसके मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क करके मिले। परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने तथा वार्ता रिकार्ड करने का तरीका समझाकर सुपुर्द करे तथा परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह को आरोपी के पास जाकर उसके कार्य से सम्बन्धित वार्ता करने की समझाईश करने एवं रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी के यथा संभव नजदीक रहकर देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करने एवं परिवादी को बाद सत्यापन डिजीटल वाईस रिकार्डर के साथ कार्यालय में लाने की हिदायत देकर किशनगंज के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 02.07 पी0एम0 पर श्री लोकेश कानि0 362 ने जर्ये मोबाईल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह आरोपी श्री महावीर सेकेटरी से रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता कर मेरे पास आ गया है तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द हालात में मुझे दे दिया है। परिवादी नरेन्द्र कुशवाह आरोपी श्री महावीर से रिश्वत के सम्बन्ध में बात होना एवं उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करना बता रहा है। समय 02.09 पी0एम0 पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह ने जर्ये मोबाईल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी महावीर सेकेटरी से रिश्वत के सम्बन्ध में पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में वार्ता हो गई है। महावीर सेकेटरी ने मुझसे मेरे काम के लिये एक हजार रूपये रिश्वत की मांग की है तथा महावीर सेकेटरी ने वार्ता के दौरान ही मुझसे तीन सौ रूपये रिश्वत के ले लिये है और सात सौ रूपये बाद में देने की कहा है। उक्त वार्ता को मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर बन्द कर लिया है और डिजीटल वाईस रिकार्डर श्री लोकेश जी कानि0 को दे दिया है। परिवादी ने बताया कि मेरे किशनगंज में काम है इसलिये मै थोडी देर से आपके कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व अपना काम करने के बाद कार्यालय एसीबी बारां में उपस्थित आने की समझाईश की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा

परिवादी के मोबाईल से श्री लोकेश कानि0 से वार्ता कर पूर्व में सुपुर्द डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर एसीबी कार्यालय में आने की हिदायत दी। समय 03.28 पी0एम0 पर रवानाशुदा श्री लोकेश कानि0 362 उपस्थित कार्यालय आया तथा श्री लोकेश कानि0 को पूर्व से सुपुर्दशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि निर्देशानुसार रवाना होकर मै किशनगंज पहुंचा। जहां परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह से जर्ये मोबाईल सम्पर्क कर मिला। मैने परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि एवं वार्ता रिकार्ड करने का तरीका समझाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि श्री महावीर सेकेटरी अभी पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में ही होगा। मेरी उनसे पंचायत समिति कार्यालय में ही रिश्वत के सम्बन्ध में बात हो जायेगी। इस पर मैने परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी को पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज रवाना किया और मै पंचायत समिति कार्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाये हुये खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह मेरे पास आया और बन्द हालात में डिजीटल वाईस रिकार्डर मुझे देकर कहा कि मैने पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में जाकर महावीर सेकेटरी की तलाश की तो वह नही मिला। वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियो से पूछताछ की। उक्त वार्ता मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली। महावीर सेकेटरी के नही मिलने पर मैने एकान्त जगह पर आकर डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर लिया और सेकेटरी महावीर के पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में आने का ध्यान रखा। कुछ समय बाद महावीर सेकेटरी के पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में अन्दर जाने पर मैने एकान्त जगह में डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर मै पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज के अन्दर गया। वहां महावीर सेकेटरी मुझे मिला। जिसने मुझे पंचायत समिति कार्यालय परिसर में एक साईड में ले जाकर बात कि तो उसने मेरे पट्टे की रजिस्ट्री पर खुद के हस्ताक्षर करने के लिये एक हजार रूपये रिश्वत की मांग की तथा वार्ता के दौरान ही उसने मुझसे तीन सौ रूपये ले लिये तथा बाकी पैसे बाद में देने के लिये कहा है। मैने मेरे शौचालय के पेमेन्ट के बारे में भी महावीर सेकेटरी से बात की तो उसने बाद में देख लेने की कहा। मेरी व महावीर सेकेटरी की वार्ता मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली थी। वहां से बाहर आकर एकान्त में मैने डिजीटल वाइस रिकार्डर बन्द कर लिया था और आपके पास आ गया। इस पर मैने श्रीमान से मोबाईल पर वार्ता कर हालात बताये थे। परिवादी द्वारा स्वयं के काम होने से बाद मे आने की कहने पर मै श्रीमान के निर्देशानुसार डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर बस से बारां आ गया। इस पर डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया तो श्री लोकेश कानि0 362 के कथनो एवं रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। डिजीटल वाईस रिकार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 03.50 पी0एम0 पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "आपके कार्यालय से किशनगंज गये श्री लोकेश जी कानि0 मुझे मिल गये थे जिन्होने मुझे डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने एवं वार्ता रिकार्ड करने का तरीका समझाकर दिया था। मैने श्री लोकेश जी को बताया था कि "श्री महावीर सेकेटरी अभी पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में ही होगा। मेरी उससे पंचायत समिति कार्यालय में ही रिश्वत के सम्बन्ध में बात हो जायेगी। इस पर लोकेश जी कानि0 ने मुझसे डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज भेज दिया था और वह पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज के बाहर ही रूक गये थे। मैने पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में जाकर महावीर सेकेटरी की तलाश की तो वह नही मिला। वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियो से पूछताछ की। उक्त वार्ता मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली। महावीर सेकेटरी के नही मिलने पर मैने एकान्त जगह पर आकर डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर लिया और सेकेटरी महावीर के पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में आने का ध्यान रखा। कुछ समय बाद महावीर सेकेटरी के पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में अन्दर जाने पर मैने एकान्त जगह में डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर मै पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज के अन्दर गया। वहां महावीर सेकेटरी मुझे मिला। जिसने मुझे पंचायत समिति कार्यालय परिसर में एक साईड में ले जाकर बात कि तो उसने मेरे पट्टे की रजिस्ट्री पर खुद के हस्ताक्षर करने के लिये एक हजार रूपये रिश्वत की मांग की तथा वार्ता के दौरान ही उसने मुझसे तीन सौ रूपये ले लिये तथा बाकी पैसे बाद में देने के लिये कहा है। मैने मेरे शौचालय के पेमेन्ट के बारे में भी महावीर सेकेटरी से बात की तो उसने बाद में देख लेने की कहा। मेरी व महावीर सेकेटरी की वार्ता मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली थी। वहां से बाहर आकर एकान्त में मैने डिजीटल वाइस रिकार्डर बन्द कर लिया था और लोकेश जी कानि0 के पास आकर मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर उनको दे दिया। मेरे आवश्यक कार्य होने से मै आपसे बात कर वही रूक गया था। काम होने के बाद मै आपके पास आ गया। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि वह मजदूरी का काम करता है

और उसके पास अभी महावीर सेकेटरी को देने के लिये रिश्वत राशि सात सौ रूपये नही है। वह एक दो दिन में रिश्वत राशि की व्यवस्था कर एसीबी कार्यालय बारां पर आ जायेगा।" इस पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर मेरे मोबाईल पर वार्ता कर ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय बारां आने की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 16.06.2022 समय 06.35 ए0एम0 पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जर्ये मोबाईल वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि "वह रिश्वत राशि का इन्तजाम करके आज 9:30–10:00 एएम तक एसीबी कार्यालय बारां आ जाउंगा।" इस पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व रिश्वत राशि सहित एसीबी कार्यालय बारां आने की हिदायत दी गई। समय 09.25 ए0एम0 पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि वह रिश्वत राशि सात सौ रूपये लेकर आया है तथा दिनांक 13.06.2022 को महावीर सेकेटरी ग्राम पंचायत करवरीकलां पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां के विरूद्व पेश प्रार्थना पत्र पर ट्रेप कार्यवाही करवाना चाहता है। परिवादी ने बताया कि महावीर सेकेटरी दिन में 11.00 से 1.00 बजे तक पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में ही रहता है। वह आज वही मिल जायेगा। मै उसको रिश्वत राशि पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में ही दे दूंगा। इस पर परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। परिवादी द्वारा बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही आज ही की जानी है। अतः ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलब किये जाने हेतु समय 09.30 ए0एम0 पर श्री दिनेश कानि0 360 को जिला आबकारी अधिकारी जिला बारां के नाम एक तहरीर पत्रांक 943 दिनांक 16.06.2022 देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान अपने साथ ही अविलम्ब लेकर आने हेतु रवाना किया गया। समय 10.18 ए0एम0 पर श्री दिनेश कानि0 360 मय स्वतंत्र गवाहान 1.श्री हरि सिंह पुत्र श्री खानु सिंह उम्र 48 साल जाति राजपूत निवासी बापिणी खुर्द थाना मतोडा जिला जोधपुर हाल प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, जिला बारां, मोबाईल नम्बर 8949890425 एवं 2.श्री अरूण गुप्ता पुत्र श्री बृजभूषण गुप्ता उम्र 37 साल जाति गुप्ता निवासी नाकोडा कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बारां, मोबाईल नम्बर 9166995885 के उपस्थित कार्यालय आया। समय 10.19 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर दोनो गवाहान को सुनाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में गवाह बनने हेतु सहमति चाही तो दोनो गवाह ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति देकर दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र पढकर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 10.21 ए0एम0 पर कार्यालय के मालखाने से सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह एवं आरोपी श्री महावीर सेकेटरी ग्राम पंचायत करवरीकला पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां के मध्य दिनांक 14.06.2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री लोकेश कानि0 362 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लोकेश कानि0 362 से हुबहु तैयार करवायी जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.02 ए0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री छीतरलाल उम्र 40 साल जाति कुशवाह निवासी मोयदा पुलिस थाना व तहसील किशनगंज जिला बारा राजस्थान ने निर्देशानुसार अपने पास से निकालकर आरोपी श्री महावीर, सेकेटरी ग्राम पंचायत करवरीकलां पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच सौ रूपये का एक नोट एवं सौ–सौ रूपये के दो नोट कुल सात सौ रूपये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गोपाल सिंह कानावत को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये। इसके बाद परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाकर श्रीमती किरण म0कानि0 589 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटो को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री हरि सिंह से लिवाई गई। परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह के पास उसके पहने हुए वस्त्रों व मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुए पांच सौ रूपये का एक नोट एवं सौ–सौ रूपये के दो नोट कुल सात सौ रूपये परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब में श्रीमती किरण म0कानि0 589 से रखवाये गये। इसके बाद काँच के एक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमती किरण म0कानि0 589 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटो को अपने हाथ से ग्रहण

करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाना में रखवायी गई। श्रीमती किरण म0कानि0 589 के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने–अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेर कर या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर मिसकॉल कर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करे। परिवादी को यह भी समझाया कि आरोपी रिश्वत राशि लेने के बाद कहा रखता है या रखवाता है इसका भी ध्यान रखे। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा आरोपी से रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह को समझाईश की गयी। दोनो स्वतंत्र गवाहान व एसीबी टीम को भी समझाया गया कि रिश्वत लेन–देन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। श्रीमती किरण महिला कानि0 589 को कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी सदस्यो की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर ट्रेप पार्टी सदस्यो के पास विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नही रहने दी गई। की गई कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पावडर व सोडियम कार्बोनेट धोवन प्रतिक्रिया एवं सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब कर सम्बन्धितों को पढवाकर, समझाकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.20 ए0एम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह के साथ उसकी मोटर साईकिल पर श्री लोकेश कानि0 362 को एवं अन्य मोटर साईकिल पर श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 व श्री दिनेश कानि0 360 को किशनगंज के लिये रवाना किया तथा इनके पीछे–पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत मय श्री अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरि सिंह व श्री अरूण गुप्ता, जाप्ता श्री उमाशंकर शर्मा हैड कानि0 125 व श्री राजेन्द्र कानि0 391 मय सरकारी लेपटॉप, ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री के प्राईवेट वाहन से किशनगंज के लिये रवाना हुआ। समय 11.50 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरि सिंह व श्री अरूण गुप्ता, जाप्ता श्री उमाशंकर शर्मा हैड कानि0 125 व श्री राजेन्द्र कानि0 391 के रामगढ रोड किशनगंज पहुचा। जहां परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह व श्री लोकेश कानि0 एवं श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 व श्री दिनेश कानि0 उपस्थित मिले। मन् अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से पुनः समझाईश की कि वह आरोपी श्री महावीर सेकेटरी के पास पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में जाकर अपने काम के सम्बन्ध में वार्ता करे व रिश्वत राशि आरोपी को दे दे तथा रिश्वत राशि देने के बाद रिश्वत राशि रखने या रखवाने के स्थान का भी ध्यान रखते हुये बाद में अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करे। इसके बाद परिवादी से पूर्व में सुपुर्दशुदा कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर रिश्वत लेन–देन हेतु स्वयं की मोटरसाईकिल से पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज रवाना किया। उसके पीछे श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 मय दिनेश कानि0 को पंचायत समिति कार्यालय के मैन गेट के दांहिनी तरफ तथा श्री लोकेश कानि0 को पंचायत समिति के गेट के बांयी तरफ निगरानी रखने के लिये तथा परिवादी के पीछे पीछे उचित दूरी बनाते हुये मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ते को साथ लाये वाहनो से लेकर पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज के बाहर अपनी अपनी उपस्थित छुपाते हुये खडे होकर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में ट्रेप जाल बिछाया। समय 12.02 पी0एम0 पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह अपनी मोटरसाईकिल से बिना ईशारा किये ही पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज के बाहर आया और रामगढ रोड की तरफ जाने लगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व एसीबी टीम को साथ लाये वाहनो से लेकर परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर रामगढ रोड पर पहुचा। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज जाकर श्री महावीर सेकेटरी की तलाश की तो वह नही मिला तथा वहां मौजूद अन्य व्यक्तियो से महावीर सेकेटरी के सम्बन्ध में जानकारी की तो आज उसका पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज में नही आना ज्ञात हुआ। इस पर मैने कार्यालय से बाहर आकर डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर लिया और वहां से आ गया। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि महावीर सेकेटरी पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज नही आया तो वह ग्राम पंचायत कार्यालय करवरीकलां में हमेशा की तरह डयूटी पर हो

सकता है। वह हमे वही मिल जायेगा। समय 12.07 पी0एम0 पर परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री महावीर सेकेटरी के उसके कार्यालय ग्राम पंचायत करवरी कलां में होने की संभावना होने से परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह के साथ उसकी मोटर साईकिल पर श्री लोकेश कानि0 362 को एवं अन्य मोटर साईकिल पर श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 व श्री दिनेश कानि0 360 को ग्राम करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां के लिये रवाना किया तथा इनके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत मय श्री अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरि सिंह व श्री अरूण गुप्ता, जाप्ता श्री उमाशंकर शर्मा हैड कानि0 125 व श्री राजेन्द्र कानि0 391 मय साथ लाये ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री के प्राईवेट वाहन से ग्राम करवरीकलां के लिये रवाना हुआ। समय 12.52 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री हरि सिंह व श्री अरूण गुप्ता, जाप्ता श्री उमाशंकर शर्मा हैड कानि0 125 व श्री राजेन्द्र कानि0 391 के ग्राम करवरीकलां के बाहर पहुंचा। जहां परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह व श्री लोकेश कानि0 एवं श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 व श्री दिनेश कानि0 उपस्थित मिले। मन् अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को आवश्यक समझाईशकर पूर्व से सुपुर्दशुदा कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर रिश्वत लेन–देन हेतु स्वयं की मोटरसाईकिल पर लोकेश कानि0 360 के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय करवरीकलां रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ते को साथ लाये वाहनो से लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय करवरीकलां के बाहर अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडे होकर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में ट्रेप जाल बिछाया। समय 12.58 पी0एम0 पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह मय श्री लोकेश कानि0 के बिना ईशारा करे ही मोटरसाईकिल से एसीबी टीम की तरफ आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पीछे–पीछे आने का ईशारा किया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय एसीबी टीम के साथ लाये वाहनो से परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुआ। समय 01.16 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय एसीबी टीम के साथ लाये वाहनो से परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर रेलावन गांव से कुछ दूरी पहले लिंक कच्ची सडक पर पहुचा। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै और लोकेश जी कानि0 ग्राम पंचायत कार्यालय करवरीकलां के पास पहुचे। मै लोकेश जी को पंचायत कार्यालय के बाहर ही मोटरसाईकिल से उतारकर पंचायत कार्यालय के अन्दर गया तो पंचायत कार्यालय में कोई नही मिला और आस–पास भी सेकेटरी श्री महावीर की तलाश की तो नही मिला। इस पर मै मोटर साईकिल लेकर बाहर आया और लोकेश जी को बिठाकर आपको ईशारा कर इधर आ गया। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री महावीर सेकेटरी के पंचायत समिति कार्यालय किशनगंज एवं ग्राम पंचायत कार्यालय करवरीकलां में नही होने से आरोपी की लॉकेशन पता करवाने के लिये परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री महावीर के मोबाईल नम्बर पर मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर कॉल करवाया तो आरोपी श्री महावीर सेकेटरी ने स्वयं को बारां जाना व मोटर साईकिल चलाने से बाद में बात करने की कहकर कॉल कट कर दिया। उक्त वार्ता को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। आरोपी श्री महावीर द्वारा बारां जाना व बाद में कॉल करने की कहने से आरोपी के फोन के इन्तजार में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व एसीबी टीम के ग्राम रेलावन में गोपनीय स्थान बन्द सरकारी स्कूल में मुकीम हुआ। समय 03.04 पी0एम0 से समय 04.58 पी0एम0 तक परिवादी के मोबाईल पर आरोपी श्री महावीर सेकेटरी का कॉल नही आने पर आरोपी की लॉकेशन पता करने हेतु परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह से आरोपी के मोबाईल पर कॉल करवाया तो आरोपी श्री महावीर का मोबाईल स्वीच ऑफ होना बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व एसीबी टीम के आरोपी के मोबाईल फोन चालू होने व आरोपी की लॉकेशन की जानकारी करने हेतु गोपनीय स्थान पर ही मुकीम हुआ। समय 06.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि महावीर सेकेटरी का मोबाईल अभी तक भी बन्द आ रहा है। परिवादी ने बताया कि मैने लोकेश जी कानि0 के साथ रेलावन में जाकर गोपनीय तरीके से आरोपी महावीर सेकेटरी के रेलावन से करवरी कलां व उसके गांव जाने का एक ही रास्ता होने से रेलावन में जानकारी की तो आरोपी महावीर सेकेटरी के रेलावन से करवरी कलां या उसके गांव जाने की जानकारी नही मिली और वह कहां है और कब आयेगा इसकी भी जानकारी नही मिली। मुझे घर पर काम होने से गांव भी जाना है। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी का मोबाईल बन्द होने एवं शाम का समय होने से आज ट्रेप कार्यवाही होने की संभावना नही होने से स्वतंत्र गवाह श्री हरि सिंह से परिवादी के पास रखी रिश्वत राशि सात सौ रूपये को निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर स्वतंत्र गवाह श्री हरि सिंह के पास ही सुरक्षित रखवायी गई तथा गवाह के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को सुपुर्द डिजीटल वाईस रिकार्डर बंद हालात में प्राप्त कर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व

आरोपी द्वारा रिश्वत के सम्बन्ध में सम्पर्क करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने की हिदायत कर वही से सकुशल रूखसत किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता साथ लाये वाहनो से बारां के लिये रवाना हुआ। समय 07.25 पी0एम0 पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता साथ लेकर गये वाहनो से एसीबी चौकी बारां आया। स्वतंत्र गवाहान श्री हरि सिंह से रिश्वत राशि का लिफाफा प्राप्त कर रिश्वत राशि का लिफाफा व डिजीटल वाईस रिकार्डर श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 से सुरक्षित मालखाने में रखवाया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मामले की गोपनीयता रखने व आईन्दा उक्त कार्यवाही हेतु बुलाने पर एसीबी कार्यालय आने की हिदायत कर सकुशल रूखसत किया गया। परिवादी से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक लगातार जर्ये मोबाईल सम्पर्क बनाये रखा यथा दिनांक 21.06.2022 व दिनांक 24.06.2022 को वार्ता करने परिवादी ने बताया कि आरोपी द्वारा रिश्वत हेतु सम्पर्क नही किया और स्वयं को किसी अन्य काम में व्यस्त होना बताया। दिनांक 23.06.2022 को परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मोबाईल पर कॉल किया तो कॉल नही लगा था। दिनांक 28.06.2022 को परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुनः जर्ये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने किसी जगह काम में व्यस्त होना व बाद में बात करने की कहा। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी। दिनांक 05.07.2022 को 12.57 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के मोबाईल पर कॉल किया परन्तु परिवादी ने कॉल रिसीव नही किया। दिनांक 14.07.2022 को समय 03.52 पी0एम0 पर पुनः परिवादी को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मोबाईल कॉल किया तो परिवादी का मोबाईल बंद होना आया। दिनांक 15.07.2022 समय 03.37 पी0एम0 पर परिवादी को कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी का रिश्वत के संबंध में फोन नही आया तथा उसने मेरा काम भी नही किया। दिनांक 25.07.2022 को एक बार तो परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कॉल रिसीव नही किया तथा वापस परिवादी का कॉल आया और बताया कि आरोपी ने उससे रिश्वत के बारे में सम्पर्क नही किया है। दिनांक 22.08.2022 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के मोबाईल पर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आरोपी ने उससे रिश्वत के लिए सम्पर्क नही किया है। बारिश अधिक होना बताया। परिवादी को आवश्यक समझाईश की गई। दिनांक 01.09.2022 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के मोबाईल पर बात की तो परिवादी ने बताया कि वह इटावा की तरफ मजदूरी करने गया हुआ है तथा आरोपी द्वारा भी रिश्वत हेतु सम्पर्क नही किया है। परिवादी को गोपनीयता रखने की व उचित समझाईश की गई। दिनांक 08.09.2022 को भी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के मोबाईल पर कॉल किया था तब परिवादी ने अपने गांव में होना व कृषि कार्य में व्यस्त होना बताया। दिनांक 09.09.2022 .परिवादी नरेन्द्र का मेरे मोबाईल पर कॉल आया व बताया कि मैं आज निजी कार्य से बारां आया हूँ। जिस पर मैने बताया की मैं आज गोपनीय कार्य में व्यस्त हूँ। मैं आपसे आईन्दा सम्पर्क करूंगा। परिवादी को आवश्यक समझाईश की गई। दिनांक 19.09.2022 पहले सम्पर्क किया तो कॉल पर सम्पर्क नही हुआ। पुनः बाद दोपहर मैने परिवादी को मोबाईल पर कॉल किया तो परिवादी ने बारां आना बताया व कुछ समय बाद ऑफिस आने के लिए कहा। 03.15 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि करीब 5–6 दिन पहले रेलावन बस स्टैण्ड पर मुझे आरोपी श्री महावीर जी सेकेटरी मिला था, तब मैने उससे मेरी बेटी के विवाह का प्रमाण पत्र के फार्म पर हस्ताक्षर करने तथा मेरी रजिस्ट्री पर आरोपी द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद उसके द्वारा रिश्वत मांग के बकाया 700 रूपये रिश्वत राशि देने की कहा तो आरोपी ने कहा की आपने 700 रूपये रिश्वत राशि मुझे नही दी है। वो देने पर मैं आपकी बेटी के विवाह के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दुंगा। इस पर मैने आरोपी को बुधवार तक रूपयों का इंतजाम कर देने की कहा। परिवादी ने बताया कि आज उसकी पत्नि भी साथ है जिसे कस्बे में सुरक्षित जगह छोडकर आया हुं। परिवादी को दिनांक 21.09.2022 बुधवार तक अपने कार्य से फ्री हो कार्यवाही के लिए उपलब्ध रहने की स्थिति में या आरोपी के सम्पर्क करने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने की आवश्यक समझाईश की जाकर सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 20.09.2022 व दिनांक 21.09.22 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को मोबाईल कॉल किया तो परिवादी ने सोयाबीन की फसल में दवाई छिडकने में व्यस्त होना बताया। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की व आवश्यक समझाईश की गई। 22.09.2022 व 23.09.22 को परिवादी को मोबाईल कॉल करने पर कॉल कनेक्ट नही हुआ। दिनांक 24.09.2022 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से मोबाईल वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आरोपी ने उससे रिश्वत राशि के लिए सम्पर्क नही किया है तथा खुद को आवश्यक कार्य में व्यस्त होना बताया है। परिवादी को आवश्यक समझाईश की गई। दिनांक 28.09.2022 समय 8.22 ए0एम0 पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा का कॉल मेरे मोबाईल पर आया। परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि मेरी बेटी का विवाह प्रमाण पत्र फार्म पर श्री महावीर सेकेटरी के हस्ताक्षर करवाने है। इसलिए उसे 700 रूपये रिश्वत के रजिस्ट्री के

आज देकर ट्रेप कार्यवाही करवाना चाहता हुं। मैं बारां आपके ऑफिस नही आ सकता मैं यहीं करवरी कलां के पास में आपसे मिल जाउंगा। परिवादी द्वारा बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही आज ही की जानी है। अतः ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलब किये जायेंगे। समय 10.15 ए0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु पत्र क्रमांक 1383 दिनांक 28.09.2022 जिला आबकारी अधिकारी बारां के नाम मुर्तिब कर श्री दिनेश कानि0 360 के सुपुर्द कर इस कार्यवाही के गवाह श्री हरिसिंह व श्री अरूण गुप्ता या राजपत्रित अधिकारी को लाने के लिए रवाना किया। समय 11.00 ए0एम0 पर रवानाशुदा श्री दिनेश कानि0 360 जिला आबकारी अधिकारी बारां से पत्र क्रमांक 505 दिनांक 28.09.2022 मय स्वतन्त्र गवाहान श्री अरूण गुप्ता पुत्र श्री बृजभूषण गुप्ता उम्र 37 साल जाति गुप्ता निवासी नाकोडा कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बारां, मोबाईल नम्बर 9166995885 व श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया पुत्र श्री प्रहलाद पहाडिया जाति खटीक उम्र 39 साल निवासी न्यू सिविल लाईन जोनल हॉस्पीटल के पीछे बारां हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय आबकारी अधिकारी बारां के उपस्थित कार्यालय आया। श्री दिनेश कानि0 360 ने बताया कि कार्यवाही के स्वतन्त्र गवाह श्री हरिसिंह प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल बारां का स्थानान्तरण हो जाने से यहां से वह कार्यमुक्त हो गये थे इसलिए जिला आबकारी अधिकारी बारां ने श्री अरूण गुप्ता के साथ श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया को भेजा है। जिनसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय प्राप्त कर होने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में तथा परिवादी द्वारा पुर्व में पेश प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व दोनो की सहमति प्राप्त कर नये स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया के परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् श्री ईस्माईल हैड कानि0 07 से मालखाने से ट्रेप राशि 700 रूपये मय लिफाफे के निकलवाकर स्वतन्त्र गवाह श्री अरूण गुप्ता को मय लिफाफा ट्रेप राशि 700 रूपये संभला कर निर्देश दिये कि परिवादी को मेरे निर्देश पर ट्रेप राशि 700 रूपये लिफाफे से निकालकर उसके पहने हुये वस्त्रों की जेब रखें। समय 11.21 ए0एम0 पर श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 व श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया स्वतन्त्र गवाह को मोटरसाईकिल से करवरी कलां के लिये रवाना किया तथा इनके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत मय स्वतंत्र गवाह श्री अरूण गुप्ता, जाप्ता श्री दिनेश कानि0 360, श्री मनोज कानि0 211, श्री लोकेश कानि0 362 व चालक श्री नरेन्द्र कानि0 530 मय डी0वी0आर0, सरकारी लेपटॉप, ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री के सरकारी वाहन से करवरी कलां के लिये रवाना हुआ। कार्यालय में श्री यशवन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक को मुनासिफ हिदायत कर छोड़ा गया तथा उप अधीक्षक पुलिस श्री अनीष अहमद को पोक्शो कोर्ट बारां में शहादत पर जाने से पूर्व आवश्यक निर्देश दिये। दौराने सफर परिवादी का मेरे मोबाईल पर उसके मोबाईल से कॉल आया तो मैंने बताया कि मैं मय ट्रेप पार्टी रास्ते में हुं। परिवादी ने रेलावन के आगे मिलने की बताया। समय 12.55 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत मय स्वतंत्र गवाह श्री अरूण गुप्ता, जाप्ता श्री दिनेश कानि0 360, श्री मनोज कानि0 211, श्री लोकेश कानि0 362 व चालक श्री नरेन्द्र कानि0 530 मय डी0वी0आर0, सरकारी लेपटॉप, ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री के सरकारी वाहन से रेलावन के आगे नदी के पार पहुंचा तथा श्री ईस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 व स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया मोटरसाईकिल से पहुचें। जहां परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा मौजूद मिला। स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया व श्री अरूण गुप्ता तथा परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा का परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत भी दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया व श्री अरूण गुप्ता व परिवादी की आपस में वार्ता करवाई तो परिवादी ने स्वयं द्वारा आरोपी महावीर सेकेटरी के खिलाफ कार्यवाही के लिए लिखित प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित स्वयं द्वारा पेश करना स्वतन्त्र गवाहो श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया व श्री अरूण गुप्ता को बताया। परिवादी ने मोयदा तिराहे से आगे गुप्त स्थान पर पहुंचकर आरोपी से मोबाईल वार्ता करने की कहा जिस पर मय ट्रेप पार्टी गुप्त स्थान के लिए रवाना हुआ। समय 01.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रवानाशुदा मोयदा तिराहे से आगे गुप्त स्थान पर मय ट्रेप पार्टी पहुंचा। इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा के मोबाईल नम्बर 7300489857 से आरोपी महावीर सेकेटरी के मोबाईल नम्बर 8955753571 पर फोन लगवाया। श्री नरेन्द्र कुशवाहा ने मोबाईल पर आरोपी महावीर सेकेटरी से कहा की उसकी बेटी का विवाह प्रमाण पत्र बनवाना है तथा पट्टे की रजिस्ट्री बनने के बाद बाकि 700 रूपये रिश्वत राशि देने के लिए कहा तो आरोपी महावीर ने ग्राम पंचायत करवरी कला पर ई–मित्र संचालक प्रद्युम्न उर्फ प्रदीप को रिश्वत राशि देने के लिए कहा व फोन काट दिया। सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता रिकॉर्ड की गई। समय 01.03 पीएम पर दोबारा परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा के मोबाईल नम्बर 7300489857 से आरोपी महावीर सेकेटरी के मोबाईल नम्बर 8955753571 पर फोन लगवाया। आरोपी महावीर ने कार्यालय ग्राम पंचायत सुवास में होना बताया।

सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता रिकॉर्ड की गई। समय 01.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा के बताये अनुसार स्वतन्त्र गवाह श्री अरूण गुप्ता से ट्रेप राशि लिफाफे से निकलावकर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा की पेंट की बांई जेब में रखवाई तथा परिवादी को हिदायत दी कि ट्रेप राशि को अनावश्यक नही छुए तथा आरोपी के मांगने पर ही आरोपी को देवे। अभिवादन करने की जरूरत पडने पर हाथ जोडकर अभिवादन करें। आरोपी से हाथ नही मिलावें। डी0वी0आर0 चालू करने, बन्द करने तथा वार्ता रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया भलीभांति परिवादी को समझाकर डी0वी0आर0 परिवादी को सुपुर्द किया तथा समझाईश की कि रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर के शेष 700 रूपये रिश्वत राशि व बेटी के विवाह प्रमाण पत्र के बारे में स्पष्ट वार्ता कर डी0वी0आर0 में वार्ता रिकार्ड करें। स्वतन्त्र गवाह श्री अरूण गुप्ता के हाथ साबुन व साथ लाये पानी से साफ धुलवाये तथा ट्रेप राशि के लिफाफे को जलाकर नष्ट करवाया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व ट्रेप पार्टी के सभी सदस्य मय स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया ने साबुन व पानी से अपने अपने हाथ साफ धोये। तत्पश्चात् मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर रिश्वत राशि देने के बाद कॉल कर सुचना देने की समझाईश कर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा को रिश्वत राशि ईमित्र संचालक प्रदीप उर्फ प्रद्युम्न को देने के लिये परिवादी की मोटरसाईकिल से श्री लोकेश कानि0 362 को उसके साथ बिठाकर आवश्यक हिदायत कर ग्राम पंचायत करवरी कलां के लिए रवाना कर उनके पीछे श्री ईस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 के साथ स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया को आवश्यक हिदायत कर मोटरसाईकिल से रवाना कर पीछे पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाह अरूण गुप्ता के मय सरकारी वाहन ग्राम पंचायत करवरी कलां के रवाना होकर ग्राम पंचायत करवरी कलां से पर्याप्त दूरी पर ट्रेप जाल बिछाया। समय 02.07 पीएम पर श्री लोकेश कानि0 362 ने श्री दिनेश कानि0 360 को कॉल किया जिस पर श्री दिनेश कानि0 360 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री लोकेश कानि0 362 से बात कि तो श्री लोकेश कानि0 362 ने बताया कि परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर ग्राम पंचायत करवरी कलां में भेजा जहां परिवादी को श्री चौथमल मीणा व प्रद्युम्न उर्फ प्रदीप ईमित्र संचालक मिले जिनसे परिवादी की बात होना परिवादी ने बताया जो वार्ता परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना बताया। परिवादी व लोकेश कानि0 362 कुछ देर पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आये। परिवादी ने बताया कि मैं व लोकेश जी ग्राम पंचायत करवरी कला के पास पहुंचे। लोकेश जी कानि0 वही रूक गये। मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर गोपनीय रूप से चालू कर ग्राम पंचायत करवरी कला में गया। वहां मुझे प्रद्युम्न उर्फ प्रदीप ईमित्र संचालक व श्री चौथमल मीणा निवासी रामनगर मिले। मैने श्री महावीर ग्राम विकास अधिकारी के बारे में जानकारी की। श्री प्रद्युम्न उर्फ प्रदीप ईमित्र संचालक को मेरी पुत्री निशा के विवाह प्रमाण पत्र सम्बन्धी दस्तावेज दिखाये तो उसने मेरे जवाई दिनेश के दस्तावेज में कुशवाह नही लिखा होना बताया। जवाई दिनेश के दस्तावेज में सुधार हेतु प्रद्युम्न उर्फ प्रदीप के मोबाईल से जवाई दिनेश के मोबाईल नम्बर मैने बताकर फोन करवाकर उसकी मोबाईल वार्ता जवाई दिनेश से करवाई थी तथा मैने भी जवाई जी दिनेश जी से बात की थी। वहां उपस्थित एक अन्य व्यक्ति जिसके नाम पते मै नही जानता मेरे कहने पर उसने मोबाईल से आरोपी श्री महावीर को कॉल कर खुद बात कर मेरी बात पूर्व ग्राम विकास अधिकारी करवरी कला श्री राजेन्द्र से करवाई। श्री राजेन्द्र ने मुझसे मेरी बेटी के विवाह प्रमाण पत्र से सम्बन्धित जानकारी कर आरोपी महावीर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुंवास में होने की जानकारी दी। उक्त वार्ता डिजीटल वाईस रिकार्डर में मैने रिकार्ड कर ली तथा मैं रिकार्डर बन्द करके लोकेश जी के पास आ गया। मैंने प्रद्युम्न उर्फ प्रदीप ईमित्र संचालक को रिश्वत राशि नही दी। प्रद्युम्न उर्फ प्रदीप ने मेरे से कभी रिश्वत नही मांगी। मेरी रजिस्ट्री के हस्ताक्षर करने के महावीर सेकेटरी से मेरी रिश्वत सम्बन्धी बातचीत की जानकारी प्रदीप उर्फ प्रद्युम्न को नही थी। रिश्वत राशि ईमित्र संचालक प्रदीप को देने से वो मुझसे रंजीश रख सकता है। इसलिये मैने उसे रिश्वत नही दी। मै महावीर सेकेटरी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। वह अभी ग्राम पंचायत सुवांस में है। जहां वह मेरी पुत्री निशा के विवाह प्रमाण पत्र के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् रिश्वत राशि ले सकता है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से बन्दशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर चालू कर ईयरफोन से रिकार्ड वार्ता को सुना जिससे परिवादी व लोकेश कानि0 के कथनों की पुष्टि हुई तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मय गहावान मय परिवादी साथ लाये वाहनों से ग्राम पंचायत सुवांस के लिये अविलम्ब रवाना हुआ। समय 02.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता व सरकारी वाहन मय ट्रेप उपकरणो सहित सुवासं रोड पहुचां जहां परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा व लोकेश कानि0 व ईस्माईल अंसारी है0कानि0 व स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया मोटरसाईकिलो से मौजूद मिले। जहां कुछ देर बाद आरोपी श्री महावीर सेकेटरी के ग्राम पंचायत सुवांस में होने पर मन अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक ने निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर करने व मोबाईल कॉल करने की मुनासिफ हिदायत कर परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से श्री लोकेश कानि0 362 को उसके साथ बिठाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर रिकार्डर में वार्ता को रिकार्ड करने की समझाईश कर ग्राम पंचायत सुवांस के लिए रवाना किया। उनके पीछे समझाईश कर श्री ईस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 के साथ स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया को मोटरसाईकिल से रवानाकर उनके पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत मय स्वतंत्र गवाह श्री अरूण गुप्ता, जाप्ता श्री दिनेश कानि0 360, श्री मनोज कानि0 211, व चालक श्री नरेन्द्र कानि0 530 मय सरकारी लेपटॉप, ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री के सरकारी वाहन से ग्राम पंचायत सुवांस के लिए रवाना होकर ग्राम पंचायत के पास मुकिम होकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे का इंतजार में मुकीम हुए। समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाहा मय श्री लोकेश कानि0 के वापस आये। परिवादी ने बन्दशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर वह आरोपी महावीर सेकेटरी के पास पहुचां जहां पर महावीर सेकेटरी 3–4 व्यक्तियो से बात कर रहा था जिस पर महावीर सेकेटरी मुझे देखते ही साईड में आया। मैंने मेरी बेटी के विवाह प्रमाण पत्र के दस्तावेज महावीर जी को दिये जिन पर उन्होने पढकर उस पर हस्ताक्षर कर दस्तावेज वापस मुझे लौटा दिये। पटटे की रजिस्ट्री के लिए पुर्व में हुई रिश्वत मांग के बाकि 700 रूपये दिये तो आरोपी महावीर सेकेटरी ने शक हो जाने से मुझसे रिश्वत के 700 रूपये लेने से मना कर दिया और मेरी बेटी के विवाह प्रमाण पत्र के दस्तावेज ग्राम पंचायत करवरी कला में ईमित्र संचालक प्रदीप उर्फ प्रद्युम्न को ऑनलाईन करवाने के लिये देने हेतु कहा और ओटीपी के लिये प्रदीप उर्फ प्रद्युम्न से बात करवाने की कहा। मैने उक्त वार्ता डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। मैने एकान्त में जाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर दिया। इस पर मैं वापस आपके पास आ गया। चुकि आरोपी महावीर सेकेटरी द्वारा परिवादी पर शक होने पर रिश्वत राशि लेने से मना करने पर ट्रेप कार्यवाही होना संभव नही है। समय 04.00 पीएम पर परिवादी से रिश्वत राशि सात सौ रूपये स्वतंत्र गवाह श्री अरूण गुप्ता से निकलवाये जाकर वापस नये लिफाफे में रखकर गवाह श्री अरूण गुप्ता के पास रहने दिये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय स्वतन्त्र गवाहान मय रिश्वत राशि मय ट्रेप कार्यवाही की आवश्यक सामग्री के मय जाप्ता मय साथ लाये वाहनो से एसीबी कार्यालय बारां के लिए रवाना हुआ। समय 05.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय स्वतन्त्र गवाहान मय रिश्वत राशि मय ट्रेप कार्यवाही की आवश्यक सामग्री के मय जाप्ता मय साथ लाये वाहनो से एसीबी कार्यालय बारां पहुंचा। वाहनों को कार्यालय में सुरक्षित खडा कर ट्रेप कार्यवाही की आवश्यक सामग्री उतराकर कार्यालय में रखवाई व रिश्वत राशि मय लिफाफे के स्वतंत्र गवाह से कार्यालय के मालखाने में मालखाना प्रभारी श्री इस्माईल है0कानि0 07को संभलाकर रखवाई तथा जाप्ता, परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यक हिदायत गई। समय 06.00 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री छीतरलाल उम्र 40 साल जाति कुशवाह निवासी मोयदा तहसील व थाना किशनगंज ग्राम पंचायत करवरी कलां पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां से आरोपी महावीर ग्राम विकास अधिकारी से कार्यालय पंचायत समिति किशनगंज में दिनांक 14.06.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों से पंचायत समिति किशनगंज में हुई सत्यापन प्रयास वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड थी, को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर स्पीकर चालू करके परिवादी व गवाहान को सुनाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री लोकेश कुमार कानि. 362 से मुर्तिब करवाई गयी। फर्द ट्रांसस्क्रिट रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 6.30 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री छीतरलाल उम्र 40 साल जाति कुशवाह निवासी मोयदा तहसील व थाना किशनगंज ग्राम पंचायत करवरी कलां पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां से आरोपी महावीर ग्राम विकास अधिकारी से लेनदेन प्रयास के दौरान कार्यालय पंचायत समिति किशनगंज में अन्य व्यक्तियों से 16.06.2022 को हुई वार्ताओं की जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड थी, को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर स्पीकर चालू करके परिवादी व गवाहान को सुनाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री लोकेश कुमार कानि. 362 से मुर्तिब करवाई गयी। फर्द ट्रांसस्क्रिट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता प्रथम व द्वितीय दिनांक 16.06.2022 मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनाई, सुनाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.05 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री छीतरलाल उम्र 40 साल जाति कुशवाह निवासी मोयदा तहसील व थाना किशनगंज ग्राम पंचायत करवरी कलां पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां मो0

नं0 7300489857 से आरोपी महावीर ग्राम विकास अधिकारी मो0 नं0 8955753571 से गुप्त स्थान पर दिनांक 16.06.2022 को कुल 45 सेकण्ड तक हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास मोबाईल वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड थी, को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर स्पीकर चालू करके परिवादी व गवाहान को सुनाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री लोकेश कुमार कानि. 362 से मुर्तिब करवाई गयी। फर्द ट्रांसस्क्रिट रिश्वत लेनदेन प्रयास मोबाईल वार्ता मुर्तिब की जाकर सभी संबंधितों को पढकर सुनाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.20 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री छीतरलाल उम्र 40 साल जाति कुशवाह निवासी मोयदा तहसील व थाना किशनगंज ग्राम पंचायत करवरी कलां पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां मो0 नं0 7300489857 से आरोपी महावीर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करवरी कला के मो0 नं0 8955753571 पर गुप्त स्थान पर दिनांक 28.09.2022 को हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास के दौरान कराई गई मोबाईल वार्ताओ की जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड थी, को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर स्पीकर चालू करके परिवादी व गवाहान को सुनाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री लोकेश कुमार कानि. 362 से मुर्तिब करवाई गयी। फर्द ट्रांसस्क्रिट रिश्वत लेनदेन प्रयास मोबाईल वार्ता प्रथम व द्वितीय मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.40 पी0एम0 पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री छीतरलाल उम्र 40 साल जाति कुशवाह निवासी मोयदा तहसील व थाना किशनगंज ग्राम पंचायत करवरी कलां पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां दिनांक 28.09.2022 को लेनदेन प्रयास के दौरान परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह एवं ग्रम पंचायत करवरी कला में उपस्थित अन्य व्यक्ति से प्रथम वार्ता करीब 54 सेकण्ड तथा परिवादी व आरोपी महावीर ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 28.09.2022 को द्वितीय वार्ता करीब 01 मिनट 11 सैकण्ड हुई वार्ता की, जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड थी, को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर स्पीकर चालू करके परिवादी व गवाहान को सुनाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री लोकेश कुमार कानि. 362 से मुर्तिब करवाई गयी। फर्द ट्रांसस्क्रिट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता प्रथम व द्वितीय उक्तानुसार मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त ट्रांसक्रिप्टें शामिल पत्रावली की गई। समय 08.40 पी0एम0 पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को परिवादी नरेन्द्र ने ट्रेप राशि लौटाने हेतु व आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र परिवादी ने स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढ़कर सुनाया। परिवादी व गवाहान ने अपने–2 हस्ताक्षर किये। समय 09.00 पी0एम0 पर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व हालात के अनुसार अब ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही है। अतः ट्रेप राशि पांच सौ रूपये का एक नोट व सौ–सौ रूपये के दो नोट कुल सात सौ रूपये मालखाने से रिश्वत राशि मय लिफाफे के निकलवाकर लिफाफे से उक्त नोटो को बाहर निकाल कर नोटों पर लगे फिनोफ्थलीन पाउडर को अच्छे तरीके से साफ करवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह को सिपुर्द किये गये। फर्द सुपुर्दगी रिश्वत राशि 700 रूपये मुर्तिव की जाकर सम्बन्धितों को पढकर व सुनाई जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवायें। समय 10.00 पीएम पर दिनांक 14.06.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (कुल दो सत्यापन सम्बन्धी वार्ताएं), दिनांक 16.06.2022 को हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता प्रथम व द्वितीय, दिनांक 28.09.2022 को हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता प्रथम व द्वितीय (कुल चार लेनदेन प्रयास वार्ताएं) व दौराने लेनदेन प्रयास कराई गई कुल तीन मोबाईल वार्ताएँ दिनांक 16.06.2022 की एक वार्ता की व 28.09.2022 की दो वार्ताएं दौराने सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही में रिकार्ड कुल योग 09 वाताओं को कार्यालय के सरकारी कम्प्यूटर मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटोप से 04 डी0वी0डी श्री लोकश कुमार कानि0 362 से डब करवाकर तैयार करवायी गयी। जिसकी फर्द डंबिग डी0वी0डी0 श्री लोकश कुमार कानि0 362 से तैयार करवाकर एक डीवीडी वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, एक डीवीडी आरोपी महावीर ग्राम विकास अधिकारी के लिये, एक आवाज नमूना हेतु कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर करके संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखकर शामिल पत्रावली की गई। फर्द डबिंग डी0वी0डी0 तैयार की जाकर सम्बन्धितों को पढ़ाकर सुनाई जाकर हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में लिये गये डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं सिल्डशुदा तीन डीवीडी तथा एक अनसिल्ड डीवीडी मालखाना प्रभारी को संभलाकर कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। समय 10.40 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह व स्वतंत्र गवाहान श्री अरूण गुप्ता व सूर्यप्रकाश

पहाड़िया को बाद आवश्यक ट्रेप कार्यवाही कार्यालय से मुनासिफ हिदायत कर सकुशल रूकसत किया।

अब तक की कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि दिनांक 13.06.2022 को परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह पुत्र श्री छीतरलाल उम्र 40 साल जाति कुशवाह निवासी मोयदा पुलिस थाना व तहसील किशनगंज जिला बारां मोबाईल नम्बर 7300489857 ने ब्यूरों कार्यालय बारां मे उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत को पेश किया। परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह द्वारा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का सही होना और प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन कर शिकायत का दिनांक 14.06.2022 को गोपनीय सत्यापन कराया गया। शिकायत की पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से हुई है। इसके बाद दिनांक 16.06.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। पंचायत समिति किशनगंज एवं ग्राम पंचायत करवरी कला जाकर ट्रेप प्रयास किया लेकिन दिनांक 16.06.2022 को आरोपी श्री महावीर ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगंज व ग्राम पंचायत करवरी कला में नही मिलने से कार्यवाही नही हो सकी। परिवादी से आरोपी श्री महावीर के मोबाईल पर वार्ता कराने पर बारां जाना बताया। उसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से कई बार लगातार सम्पर्क कर कार्यवाही के लिये प्रोत्साहित किया गया। दिनांक 28.09.2022 को भी ट्रेप प्रयास किया गया। लेकिन आरोपी ने रिश्वत राशि स्वयं नही लेकर ई मित्र संचालक श्री प्रदीप उर्फ प्रद्युम्न को देने के लिये कहा। इस पर परिवादी को ग्राम पंचायत करवरी कला में ई मित्र संचालक श्री प्रदीप उर्फ प्रद्युम्न को रिश्वत देने के लिये भेजा लेकिन परिवादी ने अपने निजी कारणों एवं रंजीश हो जाने के डर से ईमित्र संचालक को रिश्वत राशि नही दी। परिवादी ने बताया कि ईमित्र संचालक द्वारा मेरे से रिश्वत की कोई मांग नही की है और ग्राम पंचायत सुंवास में आरोपी श्री महावीर होने से उसको रिश्वत वहां जाकर देने की बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय टीम परिवादी ग्राम पंचायत सुंवास पहुंचा जहां ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी को आरोपी महावीर को रिश्वत राशि देने के लिये भेजा गया। परिवादी ने वापस आकर बताया कि आरोपी ने मेरी बेटी के विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये लेकिन मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नही की। उन्होने रिश्वत राशि लेने से मना कर दिया और उसे मुझ पर शक हो गया है। वह अब मेरे से रिश्वत नही लेंगे। इस पर रवाना होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय टीम मय सरकारी वाहन मय ट्रेप सामग्री मय रिश्वत राशि मय परिवादी के चौकी हाजा उपस्थित आयां। ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्टस् तैयार की गयी। इसके पश्चात् परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि लौटाने व आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने का पेश किया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के अनुसार अब उक्त प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने से ट्रेप राशि सात सौ रूपये परिवादी श्री नरेन्द्र कुशवाह को जर्ये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किये जाकर बाद कार्यवाही सकुशल रूकसत किया गया। ट्रेप प्रयास मोबाईल वार्ता के दौरान आरोपी के कहने पर रिश्वत राशि ई मित्र संचालक प्रदीप उर्फ प्रद्युम्न को दी जानी थी। लेकिन परिवादी ने आपसी रंजीश हो जाने के डर से व निजी कारणों से ईमित्र संचालक को रिश्वत राशि नही दी व आरोपी महावीर को ही रिश्वत राशि देने के लिये ग्राम पंचायत सुंवास भेजा गया लेकिन आरोपी को शक हो जाने के कारण रिश्वत राशि ग्रहण नही की। जो मांग सत्यापन वाताओं लेनदेन प्रयास वार्ताओं व मोबाईल वार्ताओं से स्पष्ट है। आरोपी आरोपी श्री महावीर सहरिया पुत्र श्री भंवरलाल सहरिया जाति सहरिया उम्र 28 साल निवासी ग्राम खण्डेला खेडी पोस्ट करवरीकला तहसील किशनगंज जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करवरी कला पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां (राजस्थान) का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत दण्डनीय अपराध पाया गया है। अतः आरोपी श्री महावीर सहरिया पुत्र श्री भंवरलाल सहरिया जाति सहरिया उम्र 28 निवासी ग्राम खण्डेला खेडी पोस्ट करवरीकला तहसील किशनगंज जिला बारां हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करवरी कला पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां (राजस्थान) के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 में सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(गोपाल सिंह कानावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बारां

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोपाल सिंह कानावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महावीर सहरिया, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करवरी कला, पंचायत समिति किशनगंज, जिला बारां के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 505/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:- 4243-46 दिनांक 30.12.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां।

30.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।